



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30414

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4050 वर्ष 2026

हरिश्चंद्र और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धीरेंद्र कुमार, कर्म सिंह यादव, पवन कुमार विश्वकर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश का देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन या परिवर्तन चाहने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप जिलाधिकारी, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ को केस संख्या आरएसटी/02603/2018 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी201815060602603) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के तहत दायर आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) को संज्ञान में लेना उचित होगा, जो यह अधिदेश देती है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कड़ाई से कानून के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है:-

"(3). इस धारा के तहत प्रत्येक कार्यवाही, जहां तक संभव हो, उप-विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर संपन्न की जाएगी।"

5. उक्त प्रावधान के प्रत्यक्ष उल्लंघन में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 3, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, तहसील बूढ़नपुर, जिला आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त वाद को हाथ में लें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, कड़ाई से कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित करें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"